छठी पंचवर्षीय योजना में नये टेलीफोन कनैक्शन देना

1556. श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में मंत्रालय द्वारा कितने नए टेलीफोन कनैक्शन दिए जाने तथा कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या ग्रामीण तथा दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में वहां के लोगों की आकांक्षा के अनुसार टेलीफोन एक्सचजों तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए विभागीय मानदण्ड निर्धारित करने का निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित किया गया अधुनातमक मानदण्ड क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

नए टेलीफोन कनैक्शन—13.30 लाख

नए टेलीफोन एक्सचेंज—3500

(ख) और (ग) जी हां । ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेन्ज खोलने हेतु नीति को उदार बनाया गया है जैसा कि क्रमश: विवरण —I और विवरण—II में दिया गया है ।

विवरण—I

ग्रामीण क्षेत्र में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के संबंध में नीति

डाक-तार विभाग के सामान्य नियमों के अन्तर्गत, टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने हेतु परियोजनाएं केवल परियोजना के वित्तीय मूल्य निर्धारण को कार्यान्वित करने के पश्चात् ही स्वीकार की जाती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वार्षिक आवर्ती व्यय अनुमानित वार्षिक राजस्व से अधिक न हो । हालांकि उपस्कर भण्डार और श्रम की बढ़ती हुई लागत के कारण यह पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्सचेंजों हेतु अत्याधिक संख्या में योजनाएं केवल प्रारंभिक अवस्था में ही नहीं अपितु पूर्णतया सज्जित क्षमता के पश्चात् भी अलाभकारी सिद्ध हुई हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए 100 लाइनों तक की क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने/विस्तार करने के लिए निम्नलिखित उदारीकृत नीति 1-4-1980 से अपनाई गई है :—

(i) प्रत्येक पृथक-पृथक परियोजना पर, यह दबाव डाले बिना कि वह लाभप्रद हो, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लाइनों की क्षमता तक के छोटे स्वचल एक्सचेंज खोले जा सकते हैं और उनका विस्तार किया जा सकता है ऐसे एक्सचेंजों को खोलने और उनका विस्तार निजी तथा सार्वजनिक (सेवा कनैक्शनों के अतिरिक्त) टेलीफोन कनैक्शनों हेतु मांग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ।

(ii) 10 लाइनों का एक एक्सचेंज खोला जा सकता है बशर्ते कि केन्द्रीय ग्राम की 5 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम अथवा ग्राम-समूह में ऐसे कनैक्शनों हेतु कम से कम 5(पांच) टेलीफोनों की मांग हो परन्तु अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 35 प्रतिशत होना चाहिए ।

फिलहाल इस समय यह लागू नहीं है क्योंकि 10 लाइनों के छोटे स्वचल एक्सचेंज को अभी विकसित किया जा रहा है, इसको कृपया नीचे पैरा (v) के सन्दर्भ में भी देखा जाय) ।

10. सभी अन्य स्थान :

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें :–

वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या घाटे के मामलों में किराये और गारंटी के आधार पर

टिप्पणी : 1. (क) केवल आदिवासी मामलों में किसी केन्द्रीय ग्राम से 10 किलोमीटर की अरीय दूरी के ग्राम समुहों को छोड़कर जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूहों की जनसंख्या पर । दो सार्वजनिक टेलीफोन घर उदारीकृत शर्तों के अधीन जिन में से एक दूसरे से 10 कि० मी० की दूरी के भीतर सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोला जा सकता ।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु केन्द्रीय ग्राम का पता लगाते समय निम्न प्रकार वरीयता दी जानी चाहिए :—

(i) जनजातीय, ब्लाक मुख्यालय ।

(ii) वे स्थान जहां बड़े आकार के बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां हैं; तथा

(iii) स्थानीय जनजातीय विकास विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु अथवा गहन कृषि विकास द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के केन्द्र हेतु नियत किए स्थानों पर ।

विवरण—II

हानि के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति

स्थानों की श्रेणियां :

1. जिला मुख्यालय
2. उप मंडीलीय मुख्यालय
3. तहसील मुख्यालय
4. उप तहसील मुख्यालय
5. ब्लाक मुख्यालय

6. ऐसे स्थान जिन की जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें :

हानि की चिन्ता किए बिना तथा राजस्व की शर्त के बिना सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाएंगे ।

7. वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिन का इंचार्ज उप निरीक्षक या इस से ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो ।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें :–

साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत तथा पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

8. ग्राम रास्ते से दूर के स्थान :–

(क) मौजदा सार्वजनिक टेलीफोन से 40 किलोमीटर से बाहर (अरीय दूरी) होनी चाहिए ।

(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

9. पर्यटन/तीर्थ/केन्द्र/कृषि/सिंचाई/विद्युत् परियोजना स्थल/नगर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें :—

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।

(iii) 10 लाइनों के एक्सचेंज को बदला जा सकता है अथवा 25 लाइनों का एक नया एक्सचेंज स्थापित किया जा सकता है यदि केन्द्रीय ग्राम की 5 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर एक ग्राम में अथवा ग्राम-समूह में ऐसे 10 कनैक्शनों हेतु मांग हो बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक राजस्व व्यय का कम से कम 40 प्रतिशत हो ।

(iv) 25 लाइनों का एक्सचेंज 50 लाइनों के एक्सचेंज में बदला जा सकता है जब मांग 23 तक पहुंच जाए और 50 लाइनों के एक्सचेंज का 100 लाइनों तक विस्तार किया जा सकता है जब मांग 46 तक पहुंच जाए बशर्ते कि अनुमानित राजस्व अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय का क्रमश: 60 और 70 प्रतिशत हो ।

(v) सामान्य रूप में नए स्टेशन में छोटे स्वचल एक्सचेंज की प्रारंभिक क्षमता 10 लाइनों से अधिक नहीं होनी चाहिए । फिर भी इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि 10 लाइनों के इलेक्ट्रोनिक एस ए एक्स का विकास कार्य अभी चल रहा है तथा इस तारीख तक उपलब्ध सब से छोटा एक्सचेंज 25 लाइनों की न्यूनतम क्षमता है । 25 लाइनों के एक्सचेंज को तब तक खोलने में कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि 10 लाइनों का एक्सचेंज आसानी से उपलब्ध नहीं होता, बशर्ते कि कम से कम 10 नियमित निजी और सार्वजनिक कनैक्शनों (सेवा कनैक्शनों के अतिरिक्त) की मांग हो ।

उपरोक्त उदारीकृत नीति स्वचल एक्सचेंजों को खोलने/विस्तार करने हेतु लागू है ।

2. छोटे हस्तचल एक्सचेंजो को खोलने के लिए कम से कम 5 आपरेटरों को नियुक्त करना पड़ेगा जो कि सप्ताह भर दिन रात सेवा प्रदान करेंगे । क्योंकि ऐसे छोटे हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने में काफी घाटा होता है अत: सामान्यत: 100 लाइनों से कम के हस्तचल एक्सचेंजों को खोलने पर विचार नहीं किया जाता ।

3. इस समय दूर संचार सर्किलों के अध्यक्ष 25 लाइनों के उन छोटे स्वचल एक्सचेंजों को खोलने की योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं जहां कम से कम 10 प्रत्याशित उपभोक्ताओं ने 100 रुपये की निर्धारित अग्रिम जमा के साथ अपनी मांग पंजीकृत करा ली गई हो । इस उद्देश्य हेतु प्रत्याशित उपभोक्ता क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी फोन्स/तार से सम्पर्क करें ।

4. ऐसे एक्सचेंजों के खोलने में किराये पर उचित भवन और एक्सचेंज उपस्कर, पावर संयंत्र, बैटरी, केबल, लाइन सामग्री आदि को प्राप्त करना सम्मिलित है। अतः एक बार योजना को मंजूरी दे देने के पश्चात एक्सचेंज को चालू करने में लगभग 24 महीने लग जाते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की आवंटित निधियों का उपयोग करना

1557. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दी गई पूरी धनराशि का उपयुक्त ढंग से उपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र को बिजली दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मार्च, 1981 के अन्त तक 58 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के खाते में ये दर्ज हुये हैं। इसकी तुलना में ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उस दिन तक उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को कुल 103.31 करोड़ रुपये वितरित किये हैं। 45 करोड़ की शेष राशि में 12 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल है जो मार्च, 1981 में वितरित की गई थी और भंडार में पड़ी हुई निर्माण सामग्री की लागत शामिल है जिसका इस्तेमाल निर्माण कार्यों में किया जाएगा। सम्पन्न हुये निर्माण कार्यों के पूरा होने की रिपोर्ट जब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार कर ली जायेगी तब 31 मार्च, 1981 तक हुआ वास्तविक व्यय ऊपर बताये गये खर्चे से अधिक होने की संभावना है। ग्राम विद्युतीकरण निगम निर्माणाधीन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वयन की मानीटरिंग नियमित रूप से करता रहा है ताकि उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायताओं का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) उत्तर प्रदेश में, 1,12,561 गांव हैं जिन में से 38,577 गांवों को छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में विद्युतीकृत कर दिया गया था। यह संख्या 38 प्रतिशत ग्रामों के विद्युतीकरण को दर्शाती है। छठी योजना अवधि (1980–85) के दौरान, उत्तर प्रदेश में लगभग 33000 और गांवों को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम है, जिस में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकृत किए जाने वाले 18000 गांव शामिल हैं। आशा की जाती है कि छठी पंच वर्षीय योजना के अंत तक उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण की प्रतिशतता लगभग 63 प्रतिशत हो जाएगी।

Re-instatement of Orissa T.V. Centre Employees

1558. SHRI LAKSHMAN MALLICK: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of employees working on different posts in the T.V. Centres of Orissa whose services were terminated during the last three years;

(b) the reasons for the termination of their services;

(c) whether the proposals for their re-instatement are under the consideration of Government; and

(d) if so, the expected time of taking a decision in the matter?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) Nil.

(b) to (d). Does not arise.